

ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मीरा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री बेली राम, निवासी गांव दभेटा, डाकघर स्वारघाट, ग्राम पंचायत टाली,
तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता,
2. प्रधान, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर।

विषय.—प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने
बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण
करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया मीरा देवी ने
अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम
पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि
ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जोकि इस प्रकार से है:—

क्र० सं०	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	मीरा देवी	पुत्री स्व० श्री बेली राम	31-12-1975

अतः ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया
जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख
04-07-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे
अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत टाली को आगामी
कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 03-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(धर्मपाल, हि०प्र०से०),
उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक),
श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री रोशन सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव टाली, डाकघर जगातखाना, ग्राम पंचायत टाली,
तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता,
2. प्रधान, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर।

विषय.—प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रोशन सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि इस प्रकार से है:—

क्र० सं०	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	शिवानी ठाकुर	पुत्री श्री रोशन लाल	19-01-2005

अतः ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 10-07-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत टाली को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(धर्मपाल, हि०प्र०से०),
उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक),
श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

रक्षा देवी पुत्री श्री जगदीश राम, निवासी गांव दबट, डाकघर मजारी, ग्राम पंचायत दबट, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता,
2. प्रधान, ग्राम पंचायत दबट, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर।

विषय.—प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दबट के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रक्षा देवी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दबट के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दबट के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जोकि इस प्रकार से है:—

क्र० सं०	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	रक्षा देवी	पुत्री श्री जगदीश राम	10-08-1972

अतः ग्राम पंचायत दबट, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 10-07-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत दबट को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(धर्मपाल, हि०प्र०से०),
उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक),
श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री हरी चन्द पुत्र स्वर्गीय श्री अमरु राम, निवासी गांव खुलवीं, डाकघर भाखड़ा, ग्राम पंचायत भाखड़ा, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता,
2. प्रधान, ग्राम पंचायत भाखड़ा, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर।

विषय.—प्रार्थी की दादी की मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत भाखड़ा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री हरी चन्द पुत्र स्वर्गीय श्री अमरु राम ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी दादी की मृत्यु ग्राम पंचायत भाखड़ा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपनी

दादी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत भाखड़ा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि इस प्रकार से है:—

क्र० सं०	नाम	सम्बन्ध	मृत्यु तारीख
1.	राम रखी	पत्नी श्री बरतू राम	08-11-2022

अतः ग्राम पंचायत भाखड़ा, तहसील श्री नैना देवी की जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 10-07-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर मृत्यु पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत भाखड़ा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(धर्मपाल, हि० प्र० से०),
उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक),
श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)।
